राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1176/2016/जयपुर.

मैसर्स पी.ई.एस. इंस्टॉलेशन प्रा0 लि0, सोडाला, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

उपायुक्त (प्रशासन)–तृतीय, वाणिज्यिक कर उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जतिन हरजाई, अधिकृत प्रतिनिधि .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 08/08/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'प्रशासनिक अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपीलार्थी के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 34 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र दिनांक 15.09.2015 में पारित किये गये आदेश क्रमांक प.4( )उपा./प्रशा.–III/कर/2011–12/4043 दिनांक 04.01.2016 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आयुक्त, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, सम्भाग–तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के वर्ष 2012–13 का एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश वेट अधिनियम की धारा 23, 55, 19ए के तहत दिनांक 15.01.2015 को पारित किया गया। अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश को खोलकर पुनः कर निर्धारण की स्वीकृति हेतु प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत दिनांक 15.09.2015 को प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र प्रशासनिक अधिकारी के आदेश दिनांक 04.01.2016 से इस आधार पर निरस्त किया गया कि बावजूद सूचना अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत है। प्रशासनिक अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

08/08/17

3. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि आलौच्य अवधि के कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई नोटिस अपीलार्थी पर तामील नहीं कराया गया एवं नोटिस तामील करवाये बिना ही अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध मांग सृजित की गयी है। अतः पारित किया गया एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पूर्णतः अविधिक एवं अनुचित हैं। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने में भी विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपील स्वीकार किये जाने एवं पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने का अनुरोध किया।

4. बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व प्रशासनिक अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी को जरिये ई–मेल नोटिस तामील कराया गया है। इसके बावजूद अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधि अनुसार आदेश पारित किया गया है एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2012–13 के कर निर्धारण हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह माना जा सके कि अपीलार्थी को कर निर्धारण अधिकारी की ओर से कर निर्धारण के सम्बन्ध में कोई सूचना प्रदान की गयी हो। ऐसी स्थिति में यही माना जा सकता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस तामील कराये बिना एकतरफा आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत नहीं पाया जाता है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त विपरीत पारित किया जाना प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड व माननीय उच्चतर न्यायालयों का निरन्तर यह मत रहा है कि व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही आदेश पारित किया जाना बाध्यकारी है।

08/08/17

लगातार.....3

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए प्रशासनिक अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.01.2016 एवं कर निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 15.01.2015 अपास्त किये जाते हैं तथा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, इस आदेश प्राप्ति के 60 दिवस में नियमानुसार पुनः आदेश पारित करें।

8. निर्णय सुनाया गया।

08/08/17

(राजीव चौधरी)
सदस्य